

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग
कार्यालय आदेश

का०आ०सं०-34/जिला स्थापना-28-06/2026/.....552/पं०रा०पटना, दिनांक-30/09/2026

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक-10000, दिनांक-10.07.2015 एवं आदेश संख्या-15265, दिनांक-09.08.2023 में निहित प्रावधान एवं शर्तों के तहत पंचायती राज विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में लिपिकीय संवर्ग के निम्नलिखित सेवानिवृत्त लिपिकों (निम्नवर्गीय लिपिक, उच्च वर्गीय लिपिक एवं कार्यालय अधीक्षक के समकक्ष) को संविदा के आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम-07 में अंकित कार्यालय में निम्नवर्गीय लिपिक, उच्च वर्गीय लिपिक एवं कार्यालय अधीक्षक के पद पर विभागीय आदेश सं०-252, दिनांक-19.06.2024, आदेश सं०-363, दिनांक-09.08.2024 एवं आदेश सं०-370, दिनांक-12.08.2024 द्वारा 02 वर्षों के लिए नियोजित किया गया।

2. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक-10000, दिनांक-10.07.2015 की कंडिका-3(2)(क)(v) में आवश्यकतानुसार एक-एक वर्ष के लिए अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक विभाग स्तर से सेवा विस्तार किया जाना प्रावधानित है।

3. अतएव उक्त के आलोक में 02 वर्ष की सेवा पूर्ण होने की तिथि अर्थात् स्तम्भ-05 में अंकित तिथि से अगले 01 वर्ष तक निम्नरूपेण सेवा विस्तारित की जाती है:-

क्र ० सं ०	कर्मि का नाम	पद का नाम	जन्म तिथि/सेवानि वृत्त की तिथि	संविदा विस्तार की प्रभावी तिथि	गृह जिला	पदस्थापित कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह	निम्नवर्गीय लिपिक	13.03.1962/ 31.03.2022	03.07.2026	पश्चिम चम्पारण	जिला पंचायत कार्यालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी
2.	श्री रवि प्रसाद सिंह	कार्यालय अधीक्षक	08.07.1964/ 31.07.2024	13.08.2026	भागलपुर	उप निदेशक, पंचायत राज, कोशी प्रमंडल, सहरसा
3.	श्री अरविन्द कुमार द्विवेदी	उच्च वर्गीय लिपिक	01.01.1964/ 31.12.2023	14.08.2026	पटना	जिला पंचायत कार्यालय, भोजपुर, आरा
4.	श्री शंभुनाथ सिंह	निम्नवर्गीय लिपिक	12.01.1962/ 31.01.2022	24.06.2026	वैशाली	जिला पंचायत कार्यालय, पटना
5.	श्री मदन मोहन कुमार	उच्च वर्गीय लिपिक	06.06.1963/ 30.06.2023	09.08.2026	पूर्णियाँ	जिला पंचायत कार्यालय, पूर्णियाँ



6.	श्री सुभाष चन्द्र मिश्र	निम्नवर्गीय लिपिक	15.11.1962/ 30.11.2022	24.06.2026	बौका	जिला पंचायत कार्यालय, भागलपुर
7.	श्री दीपेन्द्र चौधरी	निम्नवर्गीय लिपिक	05.02.1963/ 28.02.2023	25.06.2026	पटना	जिला पंचायत कार्यालय, मुजफ्फरपुर
8.	मो० रियाज अली	उच्च वर्गीय लिपिक	03.01.1963/ 31.01.2023	17.08.2026	भागलपुर	जिला पंचायत कार्यालय, भागलपुर
9.	श्री सुनील कुमार राम	उच्च वर्गीय लिपिक	11.08.1962/ 31.08.2022	10.08.2026	मुंगेर	जिला पंचायत कार्यालय, मुंगेर
10.	श्री राजीव कुमार रंजन	लिपिक	02.01.1962/ 31.01.2022	20.06.2026	भागलपुर	जिला पंचायत कार्यालय, बौका
11.	श्री भोला राम	उच्च वर्गीय लिपिक	18.08.1963/ 31.08.2023	30.08.2026	कैमूर	उप निदेशक, पंचायती राज कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना

4. उपर्युक्त संविदा विस्तार निम्नांकित शर्तों के अधीन है—

- (क) यह संविदा विस्तार प्रभावी तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होगा।
- (ख) प्रोन्नत पद पर सरकारी सेवक की प्रोन्नति होते ही प्रोन्नति के पद पर किया गया संविदा नियोजन समाप्त कर दिया जायेगा।
- (ग) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प झापांक-10000, दिनांक-10.07.2015 की कंडिका-3(2)(ख)(vi) के तहत कार्यों की समीक्षा समय-समय पर की जायेगी और कार्य संतोषजनक नहीं होने पर संविदा नियोजन रद्द की जायेगी।
- (घ) संविदा विस्तार के पश्चात् इन कर्मियों के मानदेय का भुगतान उपस्थिति पंजी के अनुसार किया जाएगा। यदि इनके द्वारा जिला कार्यालयों में उपस्थित होकर कार्य नहीं किया जा रहा है, उस स्थिति में संविदा विस्तार के पश्चात् योगदान की तिथि से मानदेय भुगतान किया जायेगा।
- (ङ) उक्त संकल्प की कंडिका 3(2)(क)(v) के अनुरूप अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक आवश्यकतानुसार एक-एक साल के लिए उनकी सेवा का विस्तार उनके कार्यों की समीक्षा के उपरांत सक्षम प्राधिकार (सचिव/प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, पटना) द्वारा किया जा सकेगा।



- (च) संविदा नियोजन के पश्चात् किसी प्रकार के आरोप एवं समर्पित शपथ-पत्र में अंकित तथ्य से भिन्न सूचना प्राप्त होने की स्थिति में संविदा विस्तार रद्द कर दिया जायेगा तथा नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

5. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

अनुलग्नक:—यथोक्त।

विश्वासभाजन


(राज ऐश्वर्या श्री)

उप सचिव

ज्ञापांक:—3प/जिला स्थापना-28-06/2026/...../13969/पं०रा० पटना, दिनांक—30/08/2026
प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उप विकास आयुक्त—सह—मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी उप निदेशक पंचायत राज/सभी प्राचार्य, मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान एवं जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान/सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(राज ऐश्वर्या श्री)

उप सचिव

ज्ञापांक:—3प/जिला स्थापना-28-06/2026/...../13969/पं०रा० पटना, दिनांक—30/08/2026
प्रतिलिपि: सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/निदेशक के आशुलिपिक/विशेष सचिव के आशुलिपिक/अपर सचिव के आशुलिपिक/सभी प्रभारी पदाधिकारी/संयुक्त सचिव—सह—निकासी व्ययन पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी—05/विभागीय आई०टी० प्रबंधक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना एवं सभी संबंधित सेवानिवृत्त निम्नवर्गीय लिपिक, उच्च वर्गीय लिपिक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(राज ऐश्वर्या श्री)
उप सचिव

